तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15/4/2026	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी (1) की बाद तामील एवं विपक्षी (2) की रजिस्टर ड्यु तामील रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे संलग्न पत्रावली किया गया। समस्त विपक्षीगणों को 3-बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। समस्त विपक्षीगणों के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली मे आदेश पारित किए गये। पत्रावली मे आदेश पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

जिला भीलवाडा राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाडा राज.

प्रकरण संख्या :– 40/2026

दर्ज तारीख – 26/2/26
फैसल तारीख 15/4/26

प्रेषिती

तहसीलदार
बिजौलियां

विषय प्रकरण संख्या 40/2026 पत्थरगढी बाबत्

विजय सनाढ्य पत्नी कुलदीप जी सनाढ्य जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज.

........प्रार्थी

बनाम

1. जितेन्द्र मीणा पुत्र दामोदर जी मीणा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज.
2. कालुलाल भील पुत्र मदनलाल जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी गोपालपुरा तहसील झालरापाटन जिला भीलवाडा राज.

........विपक्षीगण

उपरोक्त विषयान्तर्गत उनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है कि मोजा केशुविलास पटवार हल्का जावदा भू.अ.नि. क्षेत्र बिजौलियां खुर्द मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 148 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी की जावे मोके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थगढी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने हेतु सुचित करे। आदेश पत्थरगढी हेतु भूअभिलेख निरिक्षक बिजौलियां खुर्द को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस वक्त मोका प्रार्थीगण अदा करे पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एंवम पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करे। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला
भीलवाडा

भीलवाडा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा
सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान

प्रकरण संख्या :– 40/2026 दा. तारीख – 26/2/2026

विजय सनाढ्य पत्नी कुलदीप जी सनाढ्य जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज.

..........प्रार्थी

बनाम

1. जितेन्द्र मीणा पुत्र दामोदर जी मीणा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज.
2. कालुलाल भील पुत्र मदनलाल जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी गोपालपुरा तहसील झालरापाटन जिला भीलवाडा राज.

........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा. लै. रे. एक्ट

आदेश दिनांक – 15/4/2026

प्रार्थनापत्र विजय सनाढ्य पत्नी कुलदीप जी सनाढ्य जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज. ने जरिये अभिभाषक श्री परवेज आलम द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते मोजा केशुविलास पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियां मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 148 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हे अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र सलंग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे सलंग्न जमाबन्दी संवत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है पडौसियों के विवाद करने बाबत् शपथपत्र सलंग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है भूअभिलेख निरिक्षक बिजौलियां खुर्द को पत्थरगढी बाबत् कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस वक्त मोका प्रार्थीगण अदा करे।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा. लै. रे. एक्ट स्वीकार किया जाकर मोजा केशुविलास पटवार हल्का जावदा भू.अ.नि. क्षेत्र बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 148 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 1 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एंवम पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।
आदेश सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी ... भीलवाड़ा